

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, Delhi

सं.एनएसएफडीसी/का/00(2)/94/खंड.VI

दिनांक: 30.07.2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय/Subject: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्वप्रेरणा (suo motu) प्रकटीकरण हेतु परामर्श समिति एवं लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की समिति का गठन
/Constitution of Consultancy Committee and Committee of PIOs/FAAs for suo motu disclosures under the Right to Information Act, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन में, जो सूचना के सक्रिय (सुओ मोटू) प्रकटीकरण से संबंधित है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने एनएसएफडीसी में सक्रिय प्रकटीकरण के कार्यान्वयन और समय-समय पर समीक्षा को मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित समितियों के गठन को मंजूरी दी है:

In compliance with Section 4 of the Right to Information Act, 2005 relating to proactive (suo motu) disclosure of information and the guidelines issued by the Department of Personnel & Training (DoPT), the Competent Authority has approved the constitution of the following Committees with immediate effect to strengthen implementation and periodic review of proactive disclosures in NSFDC:

परामर्श समिति/ Consultancy Committee:

निम्नलिखित समिति समय-समय पर बैठक करेगी और आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण से संबंधित मामलों पर सलाह देगी और सार्वजनिक डोमेन में सूचना की पारदर्शिता, पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय सुझाएगी:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री सी. रमेश राव, मुमप्र और अपीलीय प्राधिकारी | : | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री डेविड रांगते, मप्र और पारदर्शिता अधिकारी | : | सदस्य |
| (iii) | श्री रतिकान्त जेना, मप्र और लोक सूचना अधिकारी | : | सदस्य |

The following Committee shall meet from time to time and advise on matters relating to proactive disclosures under Section 4 of the RTI Act, 2005 and suggest measures for improving transparency, accessibility and quality of information in the public domain:

- | | | | |
|-------|--|---|----------|
| (i) | Shri C. Ramesh Rao, CGM & FAA | : | Chairman |
| (ii) | Shri David Hrangate, GM & Transparency Officer | : | Member |
| (iii) | Shri Ratikanta Jena, GM & CPIO | : | Member |

लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की समिति/ Committee of PIOs/FAAs:

निम्नलिखित समिति समय-समय पर बैठक करेगी और आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, आरटीआई आवेदनों के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करेगी, सक्रिय प्रकटीकरण में सुधार की सिफारिश करेगी और डीओपीटी, सीआईसी और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री सी. रमेश राव, मुमप्र और अपीलीय प्राधिकारी | : | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री रतिकान्त जेना, मप्र और लोक सूचना अधिकारी | : | सदस्य |
| (iii) | श्री आर.जी. बनकर, उमप्र | : | सदस्य |

The following Committee shall meet from time to time and review implementation of the RTI Act, identify information frequently sought under RTI applications, recommend improvements in proactive disclosures and facilitate timely compliance with the directions issued by DoPT, CIC and other competent authorities:

- | | | | |
|-------|--------------------------------|---|----------|
| (i) | Shri C. Ramesh Rao, CGM & FAA | : | Chairman |
| (ii) | Shri Ratikanta Jena, GM & CPIO | : | Member |
| (iii) | Shri R.G. Banker, DGM | : | Member |

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.


(डेविड रांगते/ David Hrangate)

महाप्रबंधक (मा.स)/General Manager (HR)

वितरण/ Distribution:

समिति के सभी सदस्य/All Committee Members

प्रति/Copy:अप्रति सचिवालय/संपर्क केंद्र /सूचना बोर्ड/हिंदी सेल - CMD Office/Liaison Centres/Notice Board/Hindi Cell.